

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर (छ.ग.)

// शुद्धि पत्र //

क्रमांक / 79 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020

रायपुर, दिनांक 02 अगस्त 2020

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 77 / एस.डब्ल्यू / 2020 रायपुर दिनांक 02.08.2020 द्वारा दिनांक 03 अगस्त 2020 को दी गयी अनुमति में प्रातः 10:00 बजे के स्थान पर दोपहर 12:00 बजे पढ़ा जावे। पूर्व में प्रसारित आदेश की शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(डॉ. एस. भारतीदासन)

कलेक्टर

जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक / 79 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 02 अगस्त 2020

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं पविार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर क्षेत्र, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला रायपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। सभी उल्लेखित स्थानों पर मुनादी करावें।
8. उप संचालक, जनसंपर्क, रायपुर को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
9. सर्व तहसीलदार / कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला रायपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। सभी उल्लेखित स्थानों पर मुनादी करावें।
10. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(डॉ. एस. भारतीदासन)

कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर